रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2016/चैत्र 3, 1937
No. 193] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2016/ CHAITRA 3, 1937

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2016

सा.का.नि. 337(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें और अन्य निबंधन तथा प्राधिकरण के व्ययों को पूरा करने की रीति) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें और अन्य निबंधन तथा प्राधिकरण के व्ययों को पूरा करने की रीति) नियम, 2016 है।

 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें और अन्य निबंधन तथा प्राधिकरण के व्ययों को पूरा करने की रीति) नियम, 2006 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

 "3. भत्ते.- प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक करने के प्रत्येक दिन के लिए निम्नलिखित रकम का संदाय किया जाएगा, अर्थात्:-

 अध्यक्ष-दस हजार रुपए।

 सदस्य-आठ हजार रुपए"।

[फा. सं. 12/15/2007-सीएल खंड-III]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 711(अ), तारीख 17 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें सा.का.नि. सं. 777 (अ), तारीख 17 जून, 2011 द्वारा संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2016

G.S.R. 337(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22C of the Chartered Accountants Act, 1949, the Central Government hereby makes the following amendments in the Appellate Authority (Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and members and the manner of meeting expenditure of the Authority) Rules, 2006, namely:-

1. **Short Title and Commencement**.--- (1) These rules may be called the Appellate Authority (Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and members and the manner of meeting expenditure of the Authority) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Authority (Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and members and the manner of meeting expenditure of the Authority) Rules, 2006, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. **Allowances**. - The Chairperson and the Members of the Authority shall be paid the following amount for each day of sitting, namely:-

Chairperson - Rupees Ten Thousand.

Member - Rupees Eight Thousand.";

[F. No.12/15/2007-PI Vol-III]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note: - The principal rules was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 17th November, 2006 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 477(E), dated the 17th June, 2011.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.